Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः- 493 /196 व्यघ-सामान्य/26 दिनांक 25/04/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाऐं दायर की गयी हैं:-

क्र0 सं0	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	आदेश दिनांक	अन्तरिम आदेश
1	WPSS no. 889/2026 Sudha Mahar Vs. State of Uttarakhand and others.	27-03-2026	If work and post is available, petitioner shall be permitted to continue as before on contract as Junior Engineer. However, his engagement will not preclude the employer to fill the available vacancies by regular selection.
2	WPSS no. 891/2026 Dinesh Singh Bisht Vs. State of Uttarakhand and others.		
3	WPSS no. 890/2026 Yogesh Pratap Singh Vs. State of Uttarakhand and others.		
4	**WPSS no. 892/2026 Akhilesh Singh Rana Vs. State of Uttarakhand and others.**		
5	WPSS no. 665/2026 Sandhya Vs. State of Uttarakhand and others.	02-04-2026	In the meantime, if work and post is available, then petitioner shall be considered for reengagement as Junior Engineer as before. However, his engagement will not preclude the employer from making regular appointment.
6	WPSS no. 666/2026 Nandan Prasad Tamta Vs. State of Uttarakhand and others.		
7	WPSS no. 944/2026 Kishor Bangari Vs. State of Uttarakhand and others.		
8	WPSS no. 973/2026 Aditya Dhanraj Singh Vs. State of Uttarakhand and others.	08-04-2026	
9	**WPSS no. 968/2026 Azharuddin Ansari Vs. State of Uttarakhand and others.**		
10	WPSS no. 969/2026 Himanshu Saxena Vs. State of Uttarakhand and others.		
11	WPSS no. 970/2026 Arun Jhaldiyal Vs. State of Uttarakhand and others.		
12	WPSS no. 993/2026 Gabbar Singh Vs. State of Uttarakhand and others.	09-04-2026	
13	WPSS no. 992/2026 Vikash Nautiyal Vs. State of Uttarakhand and others.		
14	WPSS no. 991/2026 Ravikant Kothiyal Vs. State of Uttarakhand and others.		
15	WPSS no. 994/2026 Mahesh Nautiyal Vs. State of Uttarakhand and others.		
16	WPSS no. 640/2026 Amardeep Vs. State of Uttarakhand and others.	18-04-2026	In the meantime, if work and post is available, then petitioner shall be considered for reengagement as Junior Engineer as before. However, his engagement will not preclude the employer from making regular appointment
17	WPSS no. 653/2026 Anita Mehra Vs. State of Uttarakhand and others.		
18	WPSS no. 664/2026 Darshan singh kathayat Vs. State of Uttarakhand and others.		
19	WPSS no. 635/2026 Jagdish Prasad Vs. State of Uttarakhand and others.		

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यॉत्रिक) के पदों की स्थिति निम्नवत हैं:-

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	शुद्ध रिक्त	टिप्पणी
1	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	817	723	94	**90**	02 पद कोर्ट केस एवं 02 पद पर धारणाधिकार के कारण सुरक्षित रखे गये है
2	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	56	55	1	**1**	
3	कनिष्ठ अभियन्ता (वि0)	43	40	3	**3**	
4	कनिष्ठ अभियन्ता (या0)	57	56	1	**0**	01 पद पर धारणाधिकार के कारण सुरक्षित रखा गया है

शेष पृष्ठ-02 पर

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के **रिक्त 90 पदों** के सापेक्ष वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के क्रम में **72 संविदा कर्मी** कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद कार्यरत है। शासकीय पत्र 389557/III(1)/26–14359 दिनांक 22.04.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन दिव्यांगजन श्रेणी के 07 रिक्तियों को छोड़ते हुए शेष **(90–07=83)** पद एवं कार्यरत 72 संविदा कर्मियों को घटाते हुए **83–72=11 पद** रिक्त रह जायेंगे।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या 24/2025 अजय पंवार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के साथ सम्बद्ध विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1323, दिनांक 18.12.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी है, जिसमें उपरोक्त याचीगण भी सम्मिलित है।

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त विभिन्न आदेशों एवं शासकीय पत्र संख्या 389557/III(1)/26–14359 दिनांक 22.04.2026 के अनुपालन में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रिक्त 11 पदों पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2026 में सम्मिलित 03 याचीगण, दिनांक 02.04.2026 में सम्मिलित 03 याचीगण एवं दिनांक 08.04.2026 में सम्मिलित 03 याचीगण तथा दिनांक 09.04.2026 में सम्मिलित 04 याचीगण 1. श्री विकास नौटियाल (वरिष्ठता क्रमांक–194), 2. श्री गब्बर सिंह (वरिष्ठता क्रमांक–195), 3. श्री महेश नौटियाल (वरिष्ठता क्रमांक–196), 4. श्री रविकान्त कोठियाल (वरिष्ठता क्रमांक–208) में से 02 पद ही रिक्त रहने के फलस्वरूप इस कार्यालय के ज्ञाप दिनांक 18.12.2025 द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के क्रमांक 194 पर अंकित श्री विकास नौटियाल एवं क्रमांक 195 पर अंकित श्री गब्बर सिंह को कनिष्ठ अभियन्ता संविदा के रूप में आबद्व किया जा रहा है एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2023 में सम्मिलित 01 याचीगण को कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के रिक्त एक पद पर तथा मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2026 में सम्मिलित 01 याचीगण को कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रिक्त एक पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा में आबद्ध करते हुए तैनाती किये जाने के आदेश निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के तहत एतद्द्वारा पारित किये जाते है :–

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	वरिष्ठता क्रमांक	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	आदेश दिनांक	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
				कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (सिविल)		
1	श्रीमती सुधा महर	श्री शेर सिंह	44	WPSS no. 889/2026 Sudha Mahar Vs. State of Uttarakhand and others.	27.03.2026	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी
2	श्री दिनेश सिंह बिष्ट	श्री नैन सिंह बिष्ट	58	WPSS no. 891/2026 Dinesh Singh Bisht Vs. State of Uttarakhand and others.	27.03.2026	प्रान्तीय खण्ड भटवाड़ी
3	श्री योगेश प्रताप सिंह	श्री दया लाल	95	WPSS no. 890/2026 Yogesh Pratap Singh Vs. State of Uttarakhand and others.	27.03.2026	रा0मा0 खण्ड बड़कोट
4	श्रीमती संध्या	स्व0 श्री बचन सिंह	82	WPSS no. 665/2026 Sandhya Vs. State of Uttarakhand and others	02.04.2026	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग
5	श्री नन्दन प्रसाद टम्टा	श्री शेखर प्रसाद	85	WPSS no. 666/2026 Nandan Prasad Tamta Vs. State of Uttarakhand and others.	02.04.2026	निर्माण खण्ड लोहाघाट
6	श्री किशोर बंगारी	श्री हरी सिंह	89	WPSS no. 944/2026 Kishor Bangari Vs. State of Uttarakhand and others.	02.04.2026	अस्थाई खण्ड बेरीनाग
7	श्री आदित्य धनराज सिंह	श्री दर्शन लाल	176	WPSS no. 973/2026 Aditya Dhanraj Singh Vs. State of Uttarakhand and others.	08.04.2026	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी
8	श्री हिमांशु सक्सैना	श्री रामवतार सक्सेना	130	WPSS no. 969/2026 Himanshu Saxena Vs. State of Uttarakhand and others.	08.04.2026	अस्थाई खण्ड थत्यूड़
9	श्री अरूण झल्डियाल	श्री ऋषिराम झल्डियाल	119	WPSS no. 970/2026 Arun Jhaldiyal Vs. State of Uttarakhand and others.	08.04.2026	निर्माण खण्ड पौड़ी

शेष पृष्ठ–03 पर

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	वरिष्ठता क्रमांक	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	आदेश दिनांक	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
10	श्री विकास नौटियाल	श्री लाखीराम नौटियाल	194	WPSS no. 992/2026 Vikash Nautiyal Vs. State of Uttarakhand and others.	09.04.2026	रा0मा0 खण्ड श्रीनगर
11	श्री गब्बर सिंह	श्री भगवान सिंह	195	WPSS no. 993/2026 Gabbar Singh Vs. State of Uttarakhand and others.	09.04.2026	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी
कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (प्राविधिक)						
1	श्री अखिलेख सिंह राणा	श्री दयाल सिंह	1	WPSS no. 892/2026 Akhilesh Singh Rana Vs. State of Uttarakhand and others.	27.03.2026	नवम वृत्त, देहरादून
कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (विद्युत)						
1	श्री अजरूदीन अनसारी	श्री अलाउद्छीन अंसारी	3	WPSS no. 968/2026 Azharuddin Ansari Vs. State of Uttarakhand an others	08.04.2026	वि0/यॉ0 खण्ड भीमताल

शर्तें/प्रतिबन्ध :–

1. उक्त संविदा कार्मिकों द्वारा तैनाती कार्यालय में योगदान दिये जाने से पूर्व विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून में प्रमुख अभियन्ता के साथ अनुबन्ध गठित किया जायेगा। संविदा की अवधि सम्बन्धित कार्यालय में योगदान देने की तिथि से मानी जायेगी।
2. संविदा कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे, तत्पश्चात तैनाती स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. संविदा विस्तार की कार्यवाही में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या ।।।/XXX(2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 27.04.2018 एवं शासनादेश संख्या 379/XXX(2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 29.10.2021 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जायेगा।
4. यदि किसी संविदा कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो संबंधित कार्मिक की संविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

ह0

(राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासकीय पत्र संख्या 389557/।।।(1)/26–14359 दिनांक 22.04.2026 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (**ई–मेल द्वारा**) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2.सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

24/4/26

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष